



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226774
CG-DL-E-27042021-226774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943

No. 235]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 293(अ).—केन्द्र सरकार, दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 के 17) के खंड 4 के उप खंड (1) के अनुच्छेद (च) के खंड 21 के उपखंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दीपस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्तियों की नियमावली, 1993, में निम्नलिखित नामतः संशोधन किए हैं :-

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ— (1) इन नियमों का नाम दीपस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्तियों (संशोधित) नियमावली, 2021 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दीपस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्तियों की नियमावली, 1993 (इसके पश्चात उक्त नियम के नाम संदर्भित) के नियम 8 के उप नियम (2) को निम्नवित नामतः प्रतिस्थापित किया गया है:-

“(2) प्रकाश शुल्क के अतिरिक्त भुगतान के प्रतिदाय हेतु दावेदार को निकटतम पत्तन के सीमा शुल्क अधिकारी को मूल रसीदों सहित, आई एल एच प्रपत्र संख्या 10 को दो प्रतियों में विधिवत भरते हुए दावा प्रस्तुत करना होगा। सीमाशुल्क का अधिकारी, प्रस्तुत किए गए दावे की जाँच करने के पश्चात, आई एल एच प्रपत्र संख्या 10 की विधिवत रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि के माध्यम से स्वयं की संस्तुति से महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत (डीजीएलएल), नोएडा को अवगत

कराएंगे और इस संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां आई एल एच प्रपत्र संख्या 11 में प्रकाश शुल्क के संबंध में मूल प्रविष्टी के सम्मुख प्रविष्टी करनी होगी। सीमा शुल्क अधिकारी की संस्तुति की प्राप्ति पर और यह सुनिश्चित होने पर कि अतिरिक्त भुगतान सरकारी खाते में जमा हो गया है, महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत लेखा शीर्ष 1051- पत्तन दीपस्तंभ और दीपपोत, 03- दीपस्तंभ और दीपपोत, 900- निगमन प्रतिदाय, 01 – प्रकाशशुल्क, 00 – प्रकाशशुल्क, 00 – व्यतिक्रम के अधीन वेतन और लेखा अधिकारी, नोएडा को प्रमाणित प्रतिदायगी की स्वीकृति से दावेदार को भुगतान किए जाने की जानकारी से अवगत कराएंगे। मासिक लेखा के समापन के 15 दिनों के अंदर महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत से प्राप्त प्रतिदाय से संबंधित बिलों सहित वेतन और लेखा अधिकारी, नोएडा को कुल राशि का समायोजन करना होगा।

3. उक्त नियम की अनुसूची V में, आई एल एच प्रपत्र संख्या 10 नामतः प्रतिस्थापित होंगे,

आई एल एच प्रपत्र संख्या 10

[दीपस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्तियों (संशोधित) नियमावली, 2021 के नियम 8, उप नियम (2) देखें]

प्रकाश शुल्क के अतिरिक्त भुगतान के प्रतिदाय हेतु प्रपत्र

पत्तन का नाम----- संख्या -----

जहाज का नाम और आई एम ओ	संबंधित राष्ट्र□	जलयान का प्रकार	पंजीकृत टनभार (एनटी/ टीड्यू)	समुद्री यात्रा जिसके लिए भुगतान किया गया	पत्तन, जहां भुगतान किया गया और तारीख

1. दावाकृत प्रतिदाय राशि :
2. अतिरिक्त भुगतान के प्रतिदाय के दावे का आधार :-
 - i. प्रकाश शुल्क का भुगतान किया गया और समुद्री यात्रा के दौरान पत्तन पर जलयान का आगमन नहीं हुआ।
 - ii. उसी समुद्री यात्रा हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर दिया गया।
 - iii. उसी समुद्री यात्रा हेतु ऑनलाइन द्वारा दोहरा भुगतान किया गया।
 - iv. अन्य कोई (विशिष्ट विवरण का उल्लेख करें)।
3. बैंक का विवरण (खाते का नाम, बैंक का नाम और शाखा, आई एफ एस सी कोड) जहां प्रतिदाय राशि जमा होनी है:-
4. दावेदार का संपर्क विवरण :-

यह घोषणा की जाती है कि उक्त प्रदत्त विवरण मेरे विवेक और जानकारी के अनुसार सही है। यह भी घोषणा की जाती है कि इस समुद्री यात्रा हेतु मैंने, प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

दिनांक-----माह-----वर्ष-----

दावेदार के हस्ताक्षर

सीमाशुल्क के सत्यापनार्थ

मैंने उक्त दावे की जाँच की है और प्रमाणित करता हूँ कि प्रदत्त विवरण मेरे विवेक और जानकारी के अनुसार सही है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रतिदाय की प्रविष्टि की गयी है और मेरे हस्ताक्षर के अधीन विभागीय अभिलेखमें मूल रसीद के सम्मुख टिप्पणी की गई है और इसी राशि के संदर्भ में पिछला कोई प्रतिदाय आदेश जारी नहीं किया गया है।

दिनांक-----माह-----वर्ष-----

सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर

[फा. सं. - एलएच-11020/17/2014-एसएल]

लुकास एल. कामसुआन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2021

G.S.R. 293 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 21 read with clause (e) of Sub-Section (1) of Section 4 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), the Central Government hereby make the following amendments to the Lighthouse Accounting and Financial Power Rules, 1993, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These Rules may be called the Lighthouse Accounting and Financial Powers (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lighthouse Accounting and Financial Powers Rules, 1993, (herein after referred as the said Rules) in Rule 8, Sub-Rule (2), the following shall be Substituted namely:-

“(2) A claim for a refund of excess payment of lightdues will be presented by the claimant in duly filled I.L.H Form No. 10 along with original receipts, in duplicate to the Officer of Customs at the respective Port of call. The Officer of Customs shall verify the claim and convey recommendation with duly certified copy of I.L.H form No. 10 to the Director General of Lighthouses and Lightships (DGLL), NOIDA and a note to that effect will be made against the original entries of receipts for Lightdues recorded in ILH form No. 11. On receipt of the recommendation from Officer of Customs and ensuring that the excess payment received in Government Account, the Director General of Lighthouses and Lightships shall convey sanction for the certified refund amount under the Head -1051 – Ports and Lighthouses and Lightships, 03 – Lighthouses and Lightships, 900 – Deduct Refunds, 01 – Lightdues, 00 – Lightdues, 00 – Default, to Pay and Accounts Officer, Lighthouses and Lightships, NOIDA for making refund to the claimant. Within 15 days of closing of the monthly accounts, the Pay and Accounts Officer, Lighthouse and Lightship, NOIDA shall adjust the total collections booked with the refund bills received from the Director General of Lighthouses and Lightships.

3. In Schedule V of the said Rules, the I.L.H form No.10 shall be Substituted namely,

I.L.H Form No. 10

[see Rule 8, Sub-Rule (2) of Lighthouse Accounting and Financial Power Rules, 2021]

Form for Refund of Excess Payment of Lightdues

Name of Port _____ No. _____

Name of Ship and IMO	Belonging to the State	Type of Vessel	Registered Tonnage (NT / TEU)	Voyage for which the dues were paid	Port at which paid and date of payment,

1. Amount of Refund Claimed:

2. Ground upon which refund of excess payment is claimed:-

a. Lightdues paid and vessel not called at the port during the voyage.

- b. Payment made online and offline for the same voyage.
 - c. Double online payment made for the same voyage.
 - d. Any others (Specific details to be furnished).
3. State the details of Bank Account where the fund to be credited (Account Name, Bank Name & Branch, IFSC Code):-
4. Contact Details of the Claimant:-

It is declared that above details provided are correct to the best of my knowledge. It is also declared that I have not claimed the refund amount earlier for the same voyage.

Date ____ of (month)____(year)____

Signature of Claimant

For Verification by the Customs

I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the Statements made therein are correct. I also certify that this claim of refund has been registered and noted against the original receipt entry in the Departmental record under my initials and previous order for refund of the same sum has not been issued.

Date ____ of (month)____(year) ____

Signature of Officer of Customs

[F.No.LH-11020/17/2014-SL]

LUCAS L. KAMSUAN, Jt. Secy.